

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर 23/88)लिंक न.4555/अलेसे-III/84

दिनांक :- 22-12-16

आदेश संख्या .../34...../2016-17

श्री दिनेश चंद मत्तड़ निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अधीक्षण अभियंता, पी. एच.ई.डी. जिला वृत्त जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा 10,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए दिनांक 18.04.2013 को रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं अपराध संख्या 145/2013 अन्तर्गत धारा 7,13(1)(डी),13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120 बी भा.द.स. में पंजीबद्ध की जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 2682-90 दिनांक 29.04.2013 द्वारा दिनांक 18.04.2013 से निलम्बित किया गया। निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 30.11.2016 में श्री दिनेश चंद मत्तड़ कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने के निर्णयानुसार श्री दिनेश चंद मत्तड़, कनिष्ठ लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए पदस्थापन कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), समेकित बाल विकास सेवाएँ, किशनगढ़ (अजमेर), में करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अग्रिम आदेशों तक उक्त कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार का कार्य सम्पादित करेंगे।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्याधीन किया जावेगा।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर 23/88)लिंक न.4555/अलेसे-III/84

दिनांक :- 22-12-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 13.12.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, पी.एच.ई.डी. जिला वृत्त जयपुर।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), समेकित बाल विकास सेवाएँ, किशनगढ़ (अजमेर), को प्रेषित कर लेख है कि श्री दिनेश चंद मत्तड़ कनिष्ठ लेखाकार से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 30.11.2016 में लिए गए निर्णयानुसार नोन पब्लिक डिलिंग पद पर कार्य लिया जाना सुनिश्चित करें।
6. कोषाधिकारी अजमेर।
7. कोषाधिकारी (शहर) जयपुर।
8. उपकोषाधिकारी किशनगढ़ अजमेर।
9. श्री दिनेश चंद मत्तड़, कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी (शहर) जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) कार्यालय हाजा।
11. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
12. कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
13. पदस्थापन/गोपनीय शाखा/डीपीसी शाखा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)